न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
59 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	20.07.2022	02.01.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं0 9 महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज0। पिनकोड–304502 मोबाईल नं0 9828492422।
2–श्री कृष्ण अवतार पुत्र श्री सुरेश चन्द प्रोपरायटर मैसर्स कृष्णा सेल्स सुमेर नगर विस्तार क्यू ब्लॉक मानसरोवर जयपुर राज0। निवासी 119/367, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर राज0। पिनकोड–302020। मो0 न0 9461617728।

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26की उप धारा (2) (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थीगण की ओर से श्री राकेश कुमार जैन उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 02.1.25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.02.2022 को समय 01:41 पी.एम. पर मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य करोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक/ प्रोपरायटर होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विकय करने हेतु दुकान में घी, शक्कर मसाले कन्फैक्शनरी खाद्य प्रदार्थ अलग–अलग ब्राण्ड आदि खाद्य प्रदार्थ के साथ **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी कोकोनट पेडा हरशन ब्राण्ड (Sugar Boilled Confectionary Coconut Peda Harshan Brand)** के 760–760 ग्राम के 24 नग जार पैक दुकान में कागज के एक कार्टून में रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी. ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी कोकोनट पेडा हरशन ब्राण्ड (Sugar Boilled Confectionary Coconut Peda Harshan Brand)** वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 760–760 ग्राम के 4 नग मूल जार पैक चयन कर नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुद **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी कोकोनट पेडा हरशन ब्राण्ड (Sugar Boilled Confectionary Coconut Peda Harshan Brand)** 760–760 ग्राम को बराबर–बराबर(एक भाग 760 ग्राम) को ज्यों का त्यों खाकी कागज में लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3104 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3104 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विकता राकेश कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कमल टी ट्रेडर्स महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स कृष्णा सेल्स सुमेर नगर विस्तार क्यू ब्लॉक मानसरोवर जयपुर का खरीद प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2022 / 816 दिनांक 07.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0एस0 / 1041 / एक्ट / 2022 / 1171 दिनांक 30.03.2022 के अनुसार विकेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी कोकोनट पेडा हरशन ब्राण्ड (Sugar Boilled Confectionary Coconut Peda Harshan Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विकेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से राकेश कुमार जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर percentage Quantity मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी कोकोनट पेडा हरशन ब्राण्ड (Sugar Boilled Confectionary Coconut Peda Harshan Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी कोकोनट पेडा हरशन ब्राण्ड (Sugar Boilled Confectionary Coconut Peda Harshan Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 7,000/- (अक्षरे सात हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/11/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0